कार्यालय–कलेक्टर / जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अधिनिर्णय आदेश

परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड़ राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

1.	वाद संख्या	ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना–रुद्रप्रयाग–07 / 2017–18,
2.	ग्राम	रतूड़ा
3.	तहसील	रुद्रप्रयाग
4.	जिला	रुद्रप्रयाग
5.	अध्याप्ति निकाय का नाम	भारतीय रेल (भारत सरकार) की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड
6.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना का निर्माण हेतु।
7.	परियोजना का नाम	रेल विकास निगम लि0, भारतीय रेलवे, भारत सरकार का उपक्रम
8.	क्षेत्रफल (1) प्रकाशित	0.2410 है0
	(2) अर्जित	0.2380 है0
	(3) अन्तर	0.0030 है0
9.	अर्जन हेतु भूमि का प्रकार–	
	(क) कृषि भूमि	0.2380 है0
	(ख) आवासीय भूमि	Nil
	(ग) व्यवसायिक भूमि	Nil
10.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30, 2013) की धारा 4 तथा उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और	संख्या–4247 / आठ–03(2015–16) दिनांक : 06.05.2016 से जारी किया गया जिसका दो समाचार पत्रों में प्रकाशन क्रमसः– 1. अमर उजाला– 08.05.2016

	पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	2. राष्ट्रीय सहारा– 10.05.2016
11.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थाप में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना	गजट में प्रकाशन का विवरण 1. संख्या–870 / आठ–विविध देहरादून 05 दिसंबर, 2016 2. राजकीय असाधारण गजट मेंप्रकाशन का दिनांक–05.12.2016 3. दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का विवरण– 1. दैनिक जागरण– 08.12.2016 2. अमर उजाला– 08.12.2016 4. पब्लिक नोटिस का दिनांक– 05.12.2016 5. समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का विवरण– पत्र संख्या– 871 / आठ–विविध (2016–17) दिनांक: 05.12.2016
12.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–16 तथा देहरादून, उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित प्रशासक रुद्रप्रयाग द्वारा प्रारूपित एवं जनसुनवाई के पश्चात संशोधित पुनर्वास एवं पुनव्यवस्थापन योजना।	संख्या–4595 / आठ–भूअर्जन (2016–17) दिनांक–22.07.2017 संख्या–1635 / 8–6(2016–17) दिनांक– अगस्त 01, 2017
13.	वैबसाइट में प्रकाशित किये जाने का दिनांक	दिनांक– अगस्त 16, 2017

14.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 तथा उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचना।	संख्या–798/XVIII(3)2017-02(62)2017 दिनांक–देहरादून, 10 नवम्बर, 2017 से जारी गजट में प्रकाशन का विवरण 1. संख्या–870/आठ–विविध देहरादून 05 दिसंबर, 2016 2. राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशन का दिनांक–05.12.2016 3. दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का विवरण I-हिन्दुस्तान–03.12.2017 II-दैनिक जागरण–08.12.2017 4. स्थानीय प्रकाशन का दिनांक–03.12.2017 5. समुचित सरकार की बैबसाइट पर अपलोड का दिनांक–01.12. 2017 संख्या–871/आठ–विविध
15.	भूमि का कब्जा दिनांक	अधिनिर्णय की तिथि से
16	प्रतिकर का निर्धारण– प्रतिकर की दर प्रति हेक्टेयर	**(क) कृषि – (0–50 मी0)** रू0 67,10,000 प्रति है0 अर्थात रू0 671.00 प्रति वर्ग मी0 **(51–200 मी0)** रू0 64,05,000.00 प्रति है0 अर्थात रू0 640.50 प्रतिवर्गमी0 **(ख) अकृषि –** रू0 68,25,000.00 अर्थात रू0 682.50 प्रति वगमी0
17.	घोषित अधिनिर्णय की धनराशि (मय चल/अचल सम्पति सहित)	**रू0 1,01,59,531.00**
17.(क)	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का एक गुना	**रू0 15,79,595.00**
17.(क–1)	भूमि के प्रतिकर की धनराशि का दो गुना	**रू0 31,59,190.00**
17. (क–2)	अधिनियम की धारा 30(1) के अनुरुप 100 प्रतिशत तोषण कॉलम (क) की धनराशि	**रू0 31,59,190.00**
17.(ख)	भूमि पर स्थित निर्माण कार्य भवन, संरचना की प्रतिकर की धनराशि	**रू0 15,97,501.00**
17.(ग)	भूमि पर स्थित फलदार /गैर	**रू0 1,36,639.00**

	फलदार पेडों की प्रतिकर की धनराशि	
17. (ग–1)	अधिनियम संख्या–30, 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण (ख+ग) की धनराशि	**रू0 17,34,140.00**
17.(घ)	अधिनियम संख्या–30, 2013 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय अतिरिक्त राशि (दिनांकः 08.05.2016 से 25.04.2018) तक कूल दिन 718	**रू0 3,72,871.00**
18.	कुल देय प्रतिकर की धनराशि (क1+क2+ख+ग+ग1+घ)	**रू0 1,01,59,531.00**
19.	भूमि अध्याप्ति व्यय की धनराशि	नियमानुसार रू0 05 करोड की धनराशि व्यय के रूप में समस्त चार जिलों टिहरी पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को एक परियोजना मानते हुए प्रदान की गई है। जिसे पूर्व में ही रेल विकास निगम लि0 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जमा कर दिया गया है। (उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक (131/XVIII(3)/2017-20(01)2014-TC)राजस्व अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 08 मई 2017)
20.	पंजीकृत मूल्य	0.17X50X0.238X100 **= 202.00**
21.	कुल धनराशि (18+ 20)	**रू0 1,01,59,733.00**

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या– 2004/डब्ल्यू–1 रेविनिलि/15/पीटी1 नई दिल्ली दिनांकः 05.09.2011 द्वारा ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की घोषणा की गई। तथा भारत का राजपत्र संख्या 448 नई दिल्ली दिनांक–25.02.2014 द्वारा उक्त परियोजना को लोक प्रयोजन के लिये उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिये विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत सरकार के संस्थान रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु जिला–रुद्रप्रयाग के 10 ग्रामों (देजीमाण्डा, खांकरा, नरकोटा, पुनाड़, तिलणी, सुमेरपुर, रतूडा, मरोडा, मवांणा और नगरासू) की कुल 23.4540 है0 भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि

अर्जन का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सभी प्रस्तावों को वाद दर्ज किया गया, प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उत्तराखण्ड़ राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उक्त रेल मार्ग से 5 जिले, देहरादून, टिहरी, पौडी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली का चहुमुखी विकास होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेल लाईन के निर्माण होने से सीमान्त क्षेत्र पहुंचना आसान हो जायेगा, तथा पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा भी सुगम हो जायेगी। तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम–रतूड़ा में कुल नाप भूमि 0.2410 है0 है, जिसमें 42 खसरे अर्जन हेतु भारतीय रेल भारत सरकार की ओर से महाप्रबन्धक/पी–1 रेल विकास निगम लि0 नई दिल्ली तथा उप मुख्य अभियंता/निर्माण रेलवे, मुरादाबाद की ओर से प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, 2013) जो दिनांक–01.01.2014 से प्रतिस्थापित हो गया है, के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उक्त अधिनियम की धारा–4 ''सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना'' में दी गयी व्यवस्था का पालन करते हुए विधिवत निस्तारण किया गया जो कार्यालय पत्र संख्या–4247/आठ–03(2015–16) दिनांक–06 मई, 2016 से प्रेषित करते हुए दो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक– 08.05.2016 व राष्ट्रीय सहारा दिनांक 10.05.2016 से प्रकाशित कराने के उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की विज्ञप्ति जारी करने हेतु दिनांक–05.12.2016 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त उक्तानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी।

धारा–11 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार उक्त अधिनियम की धारा–16 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप ''प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की गयी जो कार्यालय के पत्र संख्या–4595/आठ–भूअर्जन (2016–17) से जारी की गयी, प्रशासक द्वारा आयुक्त गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या–1635/8–6(2016–17) दिनांक–01.08.2017 से विधिवत स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी (प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है)। जो राजकीय वैबसाइट पर दिनांक–16 अगस्त, 2017 को अपलोड करायी गयी।

धारा–16 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उक्त अधिनियम की व्यवस्था के अनुरुप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की विज्ञप्ति जारी करने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–110/आठ विविध (2016–17) दिनांक– अक्टूबर 06, 2016, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया उत्तराखण्ड शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या–798/XVIII(3)2017-02(62)2017 दिनांक– 10 नवम्बर, 2017 जारी की गयी जिसका उक्तानुसार विधिवत प्रकाशन कराया गया। विज्ञप्ति धारा–4 सामाजिक समाधात, धारा–11 प्रारम्भिक अधिसूचना, धारा–16 प्रकाशक द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं धारा–19 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सभी भूधारकों को धारा–21 की उप धारा–1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। सभी हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किये गये तथा सुनवाही हेतु दिनांक–25.02.2018 व दिनांक–13.03.2018 को नियत की गयी। ''अधिनियम की धारा–21 की उपधारा–2 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप वास्ते सुनवाई हेतु कम से कम 30 दिन तथा अधिक से अधिक 6 महीने है'' को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय दिया गया। नियत अवधि एवं नियत दिनांक पर प्राप्त आपतियों का निस्तारण उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की सहायता से पूर्ण की गयी है। इसी क्रम में निम्नवत समस्त जांचउपरान्त भूमि अर्जन अधिनिर्णय घोषित किया जाता है।

मेरे द्वारा रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम–रतूड़ा की 0.2380 है0 भूमि का स्थल पर जाकर पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्रों एवं उनकी स्थिति का भी जायजा लिया गया स्थल निरीक्षण के समय मेरे साथ याचक विभाग के श्री विश्राम सिंह नेगी (मेनेजर टेक्निकल, राजस्व) एवं राजस्व उप निरीक्षक, श्री प्रेम सिंह रौथाण उपस्थित थे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की (अधिनियम 30 का 2013) की धारा–26 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप भूमि का प्रतिकर निर्धारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तिम प्रकाशन के दिनांक–08.05.2016 से पूर्व 3 साल के विक्रय पत्रों का विवरण सब–रजिस्ट्रार कार्यालय से मंगवाया गया जो पत्रावली पर संलग्नक के रूप में उपलब्ध हैं। जो न्यूनतम सर्किल दर पर सम्पादित किये गये है, जबकि कलेक्टर द्वारा

उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए **0–50 मी0 तक रू0 671 प्रति वर्ग मी0 तथा 51–200 मी0 तक रू0 640.50 प्रति वर्ग मी0** निर्धारित किया गया है, जो अर्जन से प्रभावित हितबद्ध भू–धारकों हेतु तत्समय अर्थात धारा–4 की जारी सूचना के समय निर्धारित था, जिसे मैं सही मानता हूँ और भूधारकों के हित में सर्किल दर के आधार पर भुगतान किया जाना उचित है। अतः भूमि का प्रतिकर उक्त अधिनियम की धारा–4 के प्रकाशन की दिनांक–08.05.2016 के अनुसार गणनाकर प्रतिकर के रूप में हितबद्ध भूधारकों को देय है। इस प्रकरण में 0.2380 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी सर्किल दर से परस्पर गणना करने पर मूल प्रतिकर की राशि रू0 **15,79,595.00** का दो गुना रू0 **31,59,190.00** होता है। जो प्रतिकर के रूप में देय है।

इसके अतिरिक्त अर्जित भूमि पर भवन संरचनाओं का मूल्यांकन रू0 **15,97,501.00** तकनीकी विभाग द्वारा आंकलित किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित फलदार व गैर फलदार वृक्षों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया, उनके अनुसार भूमि पर स्थित फलदार एवं गैर फलदार वृक्षों का मूल्य रू0 **1,36,639.00** आता है जो प्रतिकर की राशि के साथ और देय है।

उक्त अधिनियम की धारा–30 की उपधारा–1 कलक्टर संदत किये जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अन्तिम अधिनिर्णय करेगा और शतप्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य ''तोषण'' की रकम आरोपित कर उक्त अधिनियम की उपधारा–2 के अनुसार अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर की रकम का ब्यौरा देने वाले पृथक अधिनिर्णय पारित करेंगा, इस प्रकरण में भूमि का प्रतिकर रू0 **31,59,190.00** जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है, भूमि पर स्थित संरचनाओं का मूल्यांकन रू0 **15,97,501.00** देय है इसके अतिरिक्त फलदार एवं गैर फलदार वृक्षों का मूल्यांकन रू0 **1,36,639.00** भी देय है, इस प्रकार कुल प्रतिकर की धनराशि रू0 **48,93,330.00** होती है, जिस पर पहली अनुसूची के अनुसार 100 प्रतिशत तोषण की राशि रू0 **48,93,330.00** और देय है। इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि रू0 **97,86,660.00** प्रतिकर के रूप में देय है।

उक्त अधिनियम की धारा–30 की उपधारा–3 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रतिकर की मूल धनराशि पर उक्त अधिनियम के धारा–4 के प्रकाशन की अन्तिम दिनांक से भूमि का अधिनिर्णय/कब्जा जो भी पहले हो तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से

अतिरिक्त राशि भी देय है। इस प्रकरण में इस अधिनियम की धारा–4 के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक– 08.05.2016 है अर्थात दिनांक–08.05.2016 से अधिनिर्णय की घोषणा के दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि भी देय है। इस प्रकरण दिनांक–08.05.2016 से दिनांक– 25.04.2018 तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जो 718 दिन के लिये गणना की गयी है, रू0 **3,72,871.00** प्रतिकर के साथ और देय है। इस प्रकार प्रतिकर, तोषण एवं 12 प्रतिशत सहित कुल प्रतिकर की राशि रू0 **1,01,59,531.00** होती है। तथा नियमानुसार प्रशासनिक व्यय/भूमि अध्याप्ति व्यय रू0 05 करोड़ की धनराशि समस्त चार जिलों टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली को एक परियोजना मानते हुए प्रदान की गयी है। जिसे पूर्व में ही रेल विकास निगम लि0 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जमा कर दिया गया है। (उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 131/XVIII(3)/2017-20(01)2014-TC राजस्व अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 08 मई 2017)। पंजीकृत मूल्य की धनराशि दिनांक–12.09.1997 के शासनादेश संख्या 1685 के अनुसार भारत सरकार के विभागों से मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि 0.17X50X0.238X100= रू0 202.00 होती है, जो अधिनिर्णय की धनराशि से अतिरिक्त है।

अतः ग्राम–रतूडा, तहसील–रुद्रप्रयाग, जिला–रुद्रप्रयाग में अर्जित की जा रही 0.2380 है0 नाप भूमि एवं संरचनाओं भवन, फलदार व गैरफलदार पेडों का कुल प्रतिकर रू0 **1,01,59,531.00 (रू0 एक करोड़ एक लाख उनसाठ हजार पांच सौ इक्कतीस)** का अधिनिर्णय आज दिनांकः 25.04.2018 को घोषित कर न्यासितबद्ध किया जाता है।

मेरे इस अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0 को उपलब्ध कराया जाय, तथा सर्व सम्बन्धितों को सूचनार्थ उत्तराखण्ड की बेबसाइट पर अपलोड की जाय साथ ही तहसील रुद्रप्रयाग में इस आशय से कि सम्बन्धित कास्तकारों को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से नोटिस/सूचना देते हुए हस्ताक्षर लें एवं एक प्रति जिलाकार्यालय में रखते हुए सूचनापट पर भी चस्पा करें। एवं सम्बन्धितों के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचना विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक : 25.04.2018

कलक्टर/जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

126कि0 मी0 ऋषिकेश– कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना

ग्राम–रतूड़ा, पट्टी–धनपूर, तहसील रूद्रप्रयाग जिला रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–11 प्रतिकर अवार्ड, ग्राम–रातूडा

क्र0सं0	नाम भूस्वामी/भवन स्वामी	अंश	खाता सख्या	अर्जित भूमि का खसरा न0	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (है0)	भूमि का अजित क्षेत्रफल (है0)	दर प्रति हेक्टअर (अकृषि) लागत रू0 में	दर प्रति हेक्टअर (कृषि) लागत रू0 में	भूमि का प्रतिकर कालम (2x5)	ग्रामीण क्षेत्र की दशा में दोगुणा (कालम 6x2)	100 प्रतिशत तोषण (कालम 07 का) लागत रू0 में	12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (कालम 6x718x12 /36500) लागत रू0 में	कुल योग (कालम 7+8+9) लागत रू0 में	भवन का प्रतिकर लागत रू0 में	वन वृक्षों का प्रतिकर लागत रू0 में	फलदार वृक्षों का प्रतिकर लागत रू0 में	कुल योग (कालम 11+12+13)	100 प्रतिशत तोषण (कालम 14 का) लागत रू0 में	कुल योग (13+14) लागत रू0में	कुल अवार्ड की धनराशि 10 +16)	टिप्पणी
	1	2	3	3अ	3ब	4	5अ	5ब	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राजू पुत्र असाडू	0.007	118	121	0.005	0.005	–	671	46970	93940	93940	11087	198967	0	0	0	0	0	0	198967	-
				122 म0	0.002	0.002	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	भाग चन्द पुत्र गिल्टू	0.005	118	122 म0	0.002	0.002	–	671	33550	67100	67100	7920	142120	0	0	0	0	0	0	142120	-
				132 म0	0.003	0.003	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	सोबन लाल पुत्र गिल्टू	0.002	118	161	0.002	0.002	–	640.5	12810	25620	25620	3024	54264	0	14786	0	14786	14786	29572	83836	-
4	कुन्दन लाल पुत्र गिल्टू	0.009	118	132 म0	0.009	0.009	–	671	60390	120780	120780	14255	255815	0	0	0	0	0	0	255815	-
5	गोविन्द लाल पुत्र गिल्टू	0.019	118	123	0.002	0.002	–	671	127490	254980	254980	30095	540055	0	1112	0	1112	1112	2224	542279	-
				124	0.006	0.006	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				125	0.008	0.008	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				126	0.003	0.003	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	मदन लाल पुत्र पुष्कर लाल	0.079	118	130	0.003	0.003	–	671	530090	1060180	1060180	125130	2245490	510604	7236	33389	551229	551229	1102458	3347948	-
				131	0.003	0.003	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				133 म0	0.005	0.005	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				134 म0	0.005	0.005	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				138	0.002	0.002	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				139	0.005	0.005	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				140	0.003	0.003	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				141	0.006	0.006	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				144	0.001	0.001	–	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				161	0.003	0.003	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				162	0.006	0.006	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				163	0.007	0.007	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				165	0.001	0.001	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				173	0.008	0.008	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				174	0.003	0.003	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				176	0.014	0.014	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				177	0.003	0.003	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				186	0.001	0.001	–	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

तहसीलदार रूद्रप्रयाग　　उप जिलाधिकारी　　जिला अधिकारी

7	धर्म लाल पुत्र पुष्कर लाल	0.062	118	128	0.003	0.003	-	671	416020	832040	832040	98204	1762284	1086897	26922	27079	1140898	1140898	2281796	**4044080**	-
				129	0.001	0.001	-	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				133 म0	0.005	0.005	-	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				134 म0	0.004	0.004	-	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				142	0.010	0.010	-	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				164	0.005	0.005	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				167	0.003	0.003	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				168	0.002	0.002	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				169	0.002	0.002	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				170	0.003	0.003	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				172	0.013	0.013	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				181	0.006	0.006	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				185 म0	0.005	0.005	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
8	आनन्द लाल पुत्र पुष्कर लाल	0.055	118	179	0.008	0.008		640.5	352275	704550	704550	83156	1492256	0	24325	1790	26115	26115	52230	**1544486**	-
				185	0.005	0.005		640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				178	0.013	0.013		640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
				143	0.010	0.010	-	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				166	0.011	0.011	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
				180	0.008	0.008	-	640.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-
Total-		**0.238**				**0.238**			**1579595**	**3159190**	**3159190**	**372871**	**6691251**	**1597501**	**74381**	**62258**	**1734140**	**1734140**	**3468280**	**10159531**	

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र रु.प्र.
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद - रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग